पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय एन एम आर जे एन यू कैम्पस
PM SHRI K V N M R JNU CAMPUS
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)
पुराना जे.एन.यू. परिसर, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-67
OLD JNU CAMPUS, NEW MEHRAULI ROAD, New Delhi-67
दूरभाष / Tel.no.: 26741327, ईमेल आईडी / E-Mail Id : kvjnu.del@gmail.com वेबसाइट
Website: https://newmehrauliroadjnu.kvs.ac.in

KV CODE: 1430, STN. CODE: 239, REG. CODE: 09, DISE CODE: 07080916601 CBSE SCH. CODE: 29021, CBSE AFF. NO. 2700019

फा.1430/के.वि./जे.एन.यू./2023-24/ दिनांक: 15-08-2024

कार्यालय आदेश

कल दिनांक 14 अगस्त को एक भूतपूर्व छात्रा के पिता उस छात्रा का स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने आए। छात्रा ने वर्ष 2022 में हमारे विद्यालय से कक्षा 12 उत्तीर्ण की है। पंजीयन संख्या चेक करने के लिए यूबीआई पोर्टल पर इएनएक्टिव विद्यार्थियों का रिकॉर्ड ढूंढ कर अधोहस्ताक्षरी ने नोट किया कि छात्रा एकल कन्या छात्रा के रूप में दर्ज है तथा अभिभावक की श्रेणी तीन है। जब अभिभावक से पूछा गया कि क्या वे फीस प्रतिपूर्ति अपने विभाग से प्राप्त करते थे तो अभिभावक द्वारा बताया गया कि एक दो बार प्राप्त किया गया।

यूबीआई पोर्टल में फी रीइंबर्समेंट को "नो" किया हुआ था अर्थात कक्षा 6 से कक्षा 12 तक छात्रा के किसी भी कक्षा अध्यापक ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अधोहस्ताक्षरी ने अगस्त 2022 में जब से विद्यालय में कार्यभार संभाला तब से इस प्रकार के बहुत से केस सही किए हैं एवं पेंडिंग शुल्क वसूले हैं। एक बार पुनः समस्त शिक्षकों को आगाह किया जाता है कि इस प्रकार का कोई भी प्रकरण हो जिसमें अभिभावक फीस प्रतिपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं तो यूबीआई पोर्टल में फी रीइंबर्समेंट "यस" दर्ज करें।

उपर्युक्त वर्णित प्रकरण में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के शुल्क की गणना करने पर लगभग ₹50000 से अधिक का वीवीएन एवं ₹ 10000 से अधिक का स्कूल फंड अभिभावक द्वारा देना बनता है, भले ही अभिभावक ने अपने विभाग से प्रत्येक वर्ष का प्रतिपूर्ति प्राप्त न किया हो। यह उनका व्यक्तिगत मामला है किंतु क्योंकि उनका विभाग शुल्क प्रतिपूर्ति करता है इसलिए हम अपने विभाग का नुकसान नहीं कर सकते।

ऐसी अवस्था में यदि अभिभावक शुल्क देने से मना कर दें और हम उनको स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं देंगे किंतु संबंधित कक्षाध्यापकों जो भी कक्षा 6 से 12 तक उक्त छात्रा के संदर्भ में रहे हैं, से यह वसूली की जा सकती है एवं साथ ही संबंधित अभिभावक के विभाग को भी कार्यवाही हेतु सूचित किया जाएगा कि उक्त कर्मचारी (अभिभावक) को प्रदत्त समस्त शुल्क प्रतिपूर्ति या तो विभागीय स्तर पर वापस ली जाए अथवा केविसं के नियमानुसार उक्त कर्मचारी (अभिभावक) को विद्यालय शुल्क जमा करने का निर्देश दें ।

एक बार पुनः सभी कक्षा अध्यापकों को यह समझाइश दी जाती है कि वे यूबीआई पोर्टल पर अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के संदर्भ में सही जानकारी दर्ज करें। जानकारी का विद्यार्थी के प्रवेश के समय के फार्म से मिलान भी कर लें एवं शुल्क के संदर्भ में अत्यधिक सावधानी बरतें। पोर्टल पर दर्ज विद्यार्थियों की संख्या तथा उपस्थिति पंजिका में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या को वन टू वन जांच लें। केविसं / भारत सरकार को यदि किसी शिक्षक / कर्मचारी (नियमित/पार्ट-टाइम/सेवारत/सेवानिवृत) की गलती से वितीय नुकसान होगा तो संबंधित से वसूली सुनिश्चित की जाएगी ।

प्राचार्य / PRINCIPAL
पीएम श्री के वि / PM SHRI KV
जेएनयू नई दिल्ली / JNU NEW DELHI

प्रति: 1. माननीय उपायुक्त महोदय एवं वित्तअधिकारी केविसं दिल्ली संभाग (सूचनार्थ)
2. विद्यालय वेबसाईट प्रभारी वेबसाईट पर अपलोड करें एवं समस्त कक्षाध्यापक अभिभावकों को व्हाट्सप्प ग्रुप के माध्यम से सूचित करें ।